ध्येय IAS
most trusted since 2003

DAILY prePARE
Current affairs summary for prelims

13 November 2024

एआई गवर्नेंस के लिए सहभागी दृष्टिकोण

सन्दर्भ: हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-मद्रास (IIT-M) द्वारा किए गए एक अध्ययन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणालियों के प्रबंधन के लिए सहभागी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस दृष्टिकोण में विकास और कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करना आवश्यक माना गया है। इस समावेशी मॉडल का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना, निष्पक्षता सुनिश्चित करना और AI प्रौद्योगिकियों में जनता के विश्वास को सुदृढ़ करना है।

अध्ययन के मुख्य बिंदु:

- **हितधारकों की भागीदारी की आवश्यकता:**
  - AI प्रणालियां अक्सर उन व्यक्तियों और समूहों के दृष्टिकोणों को बाहर कर देती हैं जो उनके उपयोग से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।
  - प्रभावित समुदाय (AI उपयोगकर्ता), नागरिक समाज और कानूनी विशेषज्ञ जैसे विविध हितधारकों की भागीदारी से AI प्रणालियों को अधिक जिम्मेदार और मानव-केंद्रित बनाने में सहायता मिलती है।
- **पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास में वृद्धि:**
  - **प्राथमिक तर्क:** हितधारकों की भागीदारी से पारदर्शिता बढ़ती है, जिससे जनता का विश्वास बढ़ता है।
  - AI जीवनचक्र के समग्र चरणों (डिजाइन, विकास, परिनियोजन और निरीक्षण) के दौरान प्रभावित पक्षों को शामिल करने से AI प्रणालियों को समाज द्वारा अधिक स्वीकार्यता मिलती है।
  - एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और गोपनीयता उल्लंघन जैसे जोखिमों को कम किया जा सकता है।
- **कानून प्रवर्तन: चेहरे की पहचान तकनीक (FRT):**
  - पुलिस बलों द्वारा उपयोग की जाने वाली FRT में पक्षपात की संभावना होती है, जिससे हाशिए पर पड़े समुदायों पर असमान प्रभाव पड़ सकता है।
  - नागरिक समाज समूहों, विचाराधीन कैदियों और कानूनी विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित करती है कि तकनीक का परीक्षण पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए किया जाए और यह निजता का उल्लंघन न करे तथा भेदभाव से मुक्त हो।
- **स्वास्थ्य सेवा: बड़े भाषा मॉडल (LLM):**
  - चिकित्सा सलाह या निदान में प्रयुक्त LLM, यदि त्रुटिपूर्ण डेटा पर प्रशिक्षित हो, तो गलत या पक्षपातपूर्ण जानकारी उत्पन्न कर सकते हैं।
  - डॉक्टरों, मरीजों, कानूनी टीमों और एआई डेवलपर्स की भागीदारी से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि एआई सिस्टम सटीक, न्यायसंगत और पारदर्शी हों।
  - स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों से फीडबैक लेकर एआई उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, और रोगी समूहों की भागीदारी से प्रणाली में भेदभाव कम किया जा सकता है।

सहभागी दृष्टिकोण के लाभ:

- **बेहतर निष्पक्षता और समानता:** हितधारकों की भागीदारी से पूर्वाग्रह कम होते हैं और AI प्रणालियों का अधिक समावेशी डिजाइन संभव हो पाता है।
- **बढ़ी हुई जवाबदेही:** हितधारक सहभागिता सुनिश्चित करती है कि डेवलपर्स अपने सिस्टम के सामाजिक प्रभावों के प्रति जवाबदेह रहें।
- **सार्वजनिक विश्वास और स्वीकृति में वृद्धि:** पारदर्शी AI प्रणालियों को जनता का समर्थन और स्वीकृति प्राप्त होने की संभावना अधिक होती है।
- **सीमित जोखिम:** प्रारंभिक चरण में सहभागिता से कानूनी चुनौतियों, सार्वजनिक प्रतिक्रिया या कमजोर समूहों को होने वाली संभावित हानियों की पहचान और उनके निवारण में सहायता मिलती है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभता एक मौलिक अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय

सन्दर्भ: हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में विकलांग व्यक्तियों (PWDs) के लिए सुलभता को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। इस निर्णय में समावेशी स्थानों, सेवाओं और उत्पादों की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जोकि विकलांग व्यक्तियों को समाज में पूर्ण और समान भागीदारी के लिए सक्षम बनाते हैं।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

फैसले के प्रमुख कानूनी और संवैधानिक पहलू:

- **मौलिक अधिकार तक पहुंच:**
  - » सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि सुगम्यता भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का एक अभिन्न हिस्सा है।
  - » सुलभता का अधिकार सम्मानपूर्वक जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21), समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14) और विकलांग व्यक्तियों के लिए गैर-भेदभाव के अधिकार (अनुच्छेद 15) की पूर्ति के लिए आवश्यक है।
- **विकलांगता का सामाजिक मॉडल:**
  - » न्यायालय ने विकलांगता के सामाजिक मॉडल को अपनाया, जिसमें यह माना गया कि विकलांगता किसी व्यक्ति की अंतर्निहित स्थिति नहीं बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय बाधाओं का परिणाम है।
  - » न्यायालय ने इन बाधाओं को समाप्त करने हेतु प्रणालीगत परिवर्तनों की आवश्यकता पर बल दिया और व्यक्तियों को 'ठीक करने' के बजाय समाज को अधिक समावेशी बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया।
- **संवैधानिक अधिदेश के रूप में सार्वभौमिक डिजाइन:**
  - » मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि सार्वजनिक और निजी स्थानों, सेवाओं और उत्पादों को सार्वभौमिक पहुंच को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाना चाहिए, ताकि सभी लोग, चाहे उनकी क्षमता, आयु या स्थिति कुछ भी हो, उनका उपयोग कर सकें।
  - » यह निर्देश राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (संविधान के भाग IV) के अनुरूप है, जोकि विकलांग व्यक्तियों सहित हाशिए पर पड़े समूहों के लिए समावेशी विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने पर बल देता है।
- **सुगम्यता के लिए अनिवार्य मानक :**
  - » न्यायालय ने सरकार को तीन महीने के भीतर अनिवार्य सुगम्यता मानक जारी करने का आदेश दिया। न्यायालय ने माना कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (RPWD) नियमों के तहत मौजूदा दिशानिर्देश बाध्यकारी नहीं थे, जिसके कारण अनुपालन में कमी देखी गई।
  - » अनिवार्य मानकों की आवश्यकता सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से देशव्यापी पहुंच मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए है।

दिव्यांगजनों के भावनात्मक और संबंधपरक अधिकार:

- न्यायालय ने विकलांग व्यक्तियों के भावनात्मक और संबंधपरक अधिकारों को रेखांकित किया, जिसमें प्रेम, अंतरंगता, गोपनीयता और आत्म-अभिव्यक्ति के अधिकार शामिल हैं।
- कोर्ट ने इन पहलुओं की अनदेखी की आलोचना की और इस बात पर बल दिया कि दिव्यांग व्यक्तियों को अपनी भावनात्मक और संबंधपरक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निजी स्थानों तक पहुंच होनी चाहिए, विशेष रूप से वे जो परिवारों के साथ रहते हैं।

फैसले के व्यावहारिक निहितार्थ:

सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का भारत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। कुछ प्रमुख निहितार्थ इस प्रकार हैं:

समावेशी बुनियादी ढांचा का विकास:

- न्यायालय ने दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में सार्वजनिक परिवहन और नई सुविधाओं में सुगम्यता के समावेशन का उदाहरण दिया।
- इस निर्णय से पुराने सार्वजनिक भवनों और स्थानों को आधुनिक सुगम्यता मानकों के अनुरूप बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास तेज हो सकते हैं।
- तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में सुलभ परिवहन में कमी के उदाहरण ने राज्य सरकारों को सुलभ परिवहन नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया है, जिससे दिव्यांगों के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय आवागमन सुनिश्चित किया जा सके।
- न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सुगमता को डिजाइन के प्रारंभिक चरण में ही एकीकृत किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत सार्वजनिक भवनों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सेवा प्रदाताओं पर भी लागू होता है, जिससे योजनाकारों और वास्तुकारों को इसे प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया जा सके।

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग: एशिया 2025

सन्दर्भ: हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग: एशिया 2025 में भारतीय संस्थानों ने अकादमिक प्रदर्शन, शोध उत्पादन और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की है। इस रैंकिंग में सात भारतीय विश्वविद्यालयों को एशिया के शीर्ष 100 में शामिल किया गया है, जिनमें से दो विश्वविद्यालयों ने शीर्ष 50 में स्थान प्राप्त किया है।

भारत के प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं

- **आईआईटी दिल्ली:**
  - » 44वें स्थान पर, अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन।
- **आईआईटी बॉम्बे:**
  - » 48वें स्थान पर, उच्च शैक्षणिक प्रतिष्ठा (96.6%) और नियोक्ता प्रतिष्ठा (99.5%) के लिए मान्यता प्राप्त।
  - » भारत के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में अपनी स्थिति बनाए रखी है।
- **आईआईटी मद्रास:**

» 56वें स्थान पर, इंजीनियरिंग और अनुसंधान का केंद्र।
» उच्च शिक्षा में भारत की वैश्विक स्थिति को सशक्त करता है।

- **आईआईटी खड़गपुर:**
  » 60वें स्थान पर, इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध।
  » भारत की वैश्विक शैक्षणिक प्रतिष्ठा को मजबूत करता है।
- **आईआईटी कानपुर:**
  » 67वें स्थान पर, भारतीय उच्च शिक्षा में आईआईटी की अग्रणी स्थिति को सशक्त करता है।
- **भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी):**
  » 62वें स्थान पर, विज्ञान और इंजीनियरिंग में अत्याधुनिक अनुसंधान पर केंद्रित।
  » भारत की अनुसंधान-आधारित शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका।
- **दिल्ली विश्वविद्यालय:**
  » 94वें स्थान से सुधार करते हुए 81वें स्थान पर।
  » बढ़ती शैक्षणिक और शोध क्षमताओं को प्रदर्शित करता है।

भारत की शैक्षणिक ताकत:

भारतीय संस्थानों ने शैक्षिक उत्कृष्टता के कई प्रमुख संकेतकों में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है:

- **प्रति संकाय शोधपत्र:**
  » अन्ना विश्वविद्यालय और आईआईटी जैसे संस्थानों ने शोध उत्पादन में उत्कृष्टता हासिल की है, जहां प्रति संकाय सदस्य उच्च संख्या में शोधपत्र तैयार किए जाते हैं। यह भारत की बढ़ती शैक्षणिक उत्पादकता को दर्शाता है।
- **पीएचडी प्राप्त कर्मचारी:**
  » 15 से अधिक विश्वविद्यालयों ने पीएचडी सूचक में 99% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जो उच्च संकाय योग्यता और शिक्षण मानकों को रेखांकित करता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क:**
  » दिल्ली विश्वविद्यालय ने में 96.4% अंक प्राप्त किए हैं, जो उसके अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग और वैश्विक दृश्यता की बढ़ोतरी को दर्शाता है।
- **संकाय-छात्र अनुपात:**
  » नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, बैंगलोर ने इस सूचक में 100 का पूर्ण स्कोर अर्जित किया है, जो उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान को दर्शाता है।

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग: एशिया 2025

- इस रैंकिंग में एशिया के 25 देशों के 984 संस्थानों का मूल्यांकन किया गया है। रैंकिंग में अकादमिक प्रतिष्ठा, शोध उत्पादकता, अंतर्राष्ट्रीय विविधता और नियोक्ता प्रतिष्ठा जैसे कई महत्वपूर्ण मापदंडों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत के प्रदर्शन का विस्तार से उल्लेख है।

सीसा संकट: स्वास्थ्य और आर्थिक लागत के दृष्टिकोण से विश्लेषण

सन्दर्भ: हाल ही में लैंसेट पब्लिक हेल्थ द्वारा किए गए अध्ययन 'वैश्विक अर्थव्यवस्था से सीसा हटाना' ने सीसा के संपर्क में आने से उत्पन्न होने वाली गंभीर आर्थिक लागत को उजागर किया है, विशेष रूप से समय से पूर्व हृदय रोग (सीवीडी) से होने वाली मौतों के संदर्भ में। अध्ययन में यह अनुमानित किया गया है कि सीसा के संपर्क के कारण होने वाली सीवीडी मृत्यु दर के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को 6 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। यह स्थिति इस बात को स्पष्ट करती है कि वैश्विक स्तर पर सीसे को अर्थव्यवस्था से चरणबद्ध रूप से बाहर निकालने के लिए तात्कालिक और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

प्रमुख उद्योग: वर्तमान सीमा और मांग

- **ऐतिहासिक उपयोग:** प्राचीन काल से ही सीसे का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता रहा है और कुछ प्रतिबंधों के बावजूद यह आज भी प्रचलित है।
- **प्राथमिक अनुप्रयोग:** वर्तमान में वैश्विक स्तर पर 86% सीसे का उपयोग लेड-एसिड बैटरियों में किया जाता है, जो विशेष रूप से वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण के लिए उपयोगी हैं।
- **बढ़ती मांग:** लेड-एसिड बैटरियों की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही

है, जिसके परिणामस्वरूप पुनर्चक्रण प्रयासों में भी वृद्धि हो रही है, लेकिन इसके साथ-साथ पर्यावरणीय प्रदूषण का खतरा भी बढ़ता जा रहा है।

सीसा संदूषण के पारिस्थितिक प्रभाव:

- **जैवसंचय:** सीसा पारिस्थितिक तंत्र में जमा हो जाता है, जिससे मृदा स्वास्थ्य प्रभावित होती है और खाद्य श्रृंखला में इसका प्रवेश होता है, जोकि पौधों, कीटों और जानवरों के लिए हानिकारक है।
- **जैव विविधता का विघटन:** सीसा की उच्च सांद्रता के कारण पौधों की वृद्धि बाधित होती है और कीटों के प्रजनन में कमी आती है, जिससे स्थानीय जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- **खाद्य श्रृंखला का संदूषण:** जैव संचय के माध्यम से सीसा खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर बढ़ता है, जो शिकारियों और बड़ी प्रजातियों को प्रभावित करता है, और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा करता है।

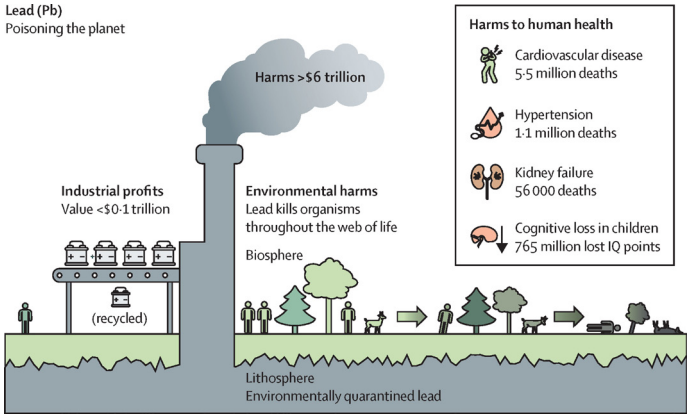

सीसे के संपर्क से मानव स्वास्थ्य को खतरा:

- **संज्ञानात्मक हानि:** सीसे के संपर्क में आने से बच्चों में संज्ञानात्मक देरी, बौद्धिक क्षमता में कमी और विकासात्मक हानि हो सकती है।
- **व्यवहारगत प्रभाव:** सीसे के उच्च स्तर का संबंध अपराधी व्यवहार से जोड़ा गया है, विशेष रूप से युवा वयस्कों में।
- **अपरिवर्तनीय क्षति:** सीसे के कम स्तर के संपर्क से भी अपरिवर्तनीय मस्तिष्क क्षति हो सकती है, जिससे इस समस्या के वैश्विक स्तर पर रोकथाम के उपायों की आवश्यकता और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

आर्थिक प्रभाव और उद्योग चुनौतियाँ:

- **उद्योग मूल्य:** वैश्विक सीसा उत्पादन का मूल्य 2022 में 10.3 बिलियन डॉलर था तथा सीसा-एसिड बैटरी उद्योग का मूल्य 2020 में 50 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया।
- **उच्च स्वास्थ्य लागत:** सीसे से संबंधित स्वास्थ्य प्रभावों की लागत, विशेष रूप से हृदय रोगों के कारण, इसके औद्योगिक लाभ से कहीं अधिक है।
- **वैकल्पिक प्रौद्योगिकियाँ:** लिथियम-आयन बैटरी जैसी सुरक्षित प्रौद्योगिकियाँ आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य होती जा रही हैं, जो सीसे के विकल्प के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

सीसा पुनर्चक्रण में समस्याएँ

- **नियामक चुनौतियाँ:** कई देशों में सुरक्षित सीसा पुनर्चक्रण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नियमन का अभाव है, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम उत्पन्न होते हैं।
- **पर्यावरण प्रदूषण:** असुरक्षित पुनर्चक्रण प्रक्रियाएँ स्थानीय पर्यावरण में सीसा प्रदूषण का एक प्रमुख कारण बनती हैं।
- **पर्यवेक्षण की आवश्यकता:** प्रभावी पुनर्चक्रण प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए मजबूत विनियमन और निगरानी प्रणाली स्थापित की जाए।

निष्कर्ष:

सीसे के संपर्क से होने वाले स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक नुकसान को ध्यान में रखते हुए, वैश्विक स्तर पर सीसे के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता है। लिथियम-आयन बैटरी जैसी सुरक्षित और पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकियों की ओर रुख करना और पुनर्चक्रण नियमों को मजबूत करना मानव और पर्यावरण दोनों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

पॉवर पैक्ड न्यूज

उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ

- हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ। यह पहल टिकाऊ शहरी परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जोकि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में यातायात की भीड़ को कम करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के सरकार के मिशन के अनुरूप है।
- नई बस सेवा में 65 यात्री बैठ सकते हैं और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार महिला यात्रियों को किराए में 50% छूट प्रदान कर रही

है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल भुगतान करने वाले यात्रियों को 10% की छूट मिलेगी, जिससे कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा।

- पर्यावरण अनुकूल डबल-डेकर बस, जोकि शून्य ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करती है, एक हरित परिवहन विकल्प का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में कार्बन पदचिह्न को कम करना है।
- यह पहल सार्वजनिक परिवहन में पर्यावरण के अनुकूल और अभिनव समाधानों को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। हरित प्रौद्योगिकी को अपनाकर, सरकार तेजी से बढ़ती शहरी आबादी की बुनियादी ढांचे और पर्यावरणीय जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ सार्वजनिक सुविधा को बढ़ाने की उम्मीद करती है।

भारत का पहला अंतरिक्ष-आधारित अभ्यास, 'अंतरिक्ष अभ्यास-2024'

अंतरिक्ष परिसंपत्तियों के लिए उभरते खतरों के उत्तर में, भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष अभ्यास, 'अंतरिक्ष अभ्यास-2024' की शुरुआत की। इस अभ्यास का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। तीन दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास का आयोजन रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय के तत्वाधान में किया गया, जिसमें सेना, नौसेना और वायु सेना के कार्मिक भाग ले रहे हैं।

अंतरिक्ष अभ्यास-2024 के बारे में:

- अंतरिक्ष अभ्यास-2024 एक अग्रणी पहल है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष संबंधित रक्षा कार्यों के लिए भारत की तैयारियों को मजबूत करना और अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों में निहित बुनियादी ढांचे पर निर्भरता को समझना है।

- यह कार्यक्रम अंतरिक्ष में अपने राष्ट्रीय रणनीतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को सैन्य अभियानों में और अधिक गहराई से एकीकृत करने के भारत की प्रतिबद्ता को रेखांकित करता है। प्रतिभागी प्रक्रियागत कमियों की पहचान करने और अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं में संभावित व्यवधानों के जवाबों की रणनीति बनाने के लिए सहयोग करेंगे।
- यह विशेष आयोजन अंतरिक्ष में प्रक्रिया-संबंधी निर्भरताओं को संबोधित करने और किसी व्यवधान की स्थिति में प्रक्रियागत प्रतिक्रियाओं की पहचान करने का अवसर भी प्रदान करता है, जिससे अंतरिक्ष क्षेत्र में देश की रक्षा तत्परता मजबूत होती है। यह अभ्यास भारत की बाह्य अंतरिक्ष में अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।